राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय व तृतीय तल, ब्लॉक–5, डॉ.एस. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

rajssashaladarshan@gmail.com फोन–0141–2711964

क्रमांक : राप्राशिप/जय/शाला दर्शन/2017–18 / 10588 दिनांक : 15/12/17

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि.
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
सर्व शिक्षा अभियान,
समस्त जिले।

अति आवश्यक

विषय – शाला दर्शन पोर्टल पर "विद्यालय से निवास स्थान की दर्शायी गई दूरी का कारण अपडेट करें " मॉडयूल में प्रविष्टि बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शाला दर्शन पोर्टल पर **विद्यार्थी विस्तृत प्रविष्टि (प्रपत्र–3ए)** में विद्यार्थी के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी प्रविष्टि करवायी गई थी। कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत विद्यार्थी जिनके निवास स्थान की विद्यालय से दूरी 1 किमी. से अधिक तथा कक्षा 6 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थी के निवास स्थान की दूरी 2 किमी से अधिक है ऐसे समस्त विद्यार्थियों की निवास स्थान से विद्यालय की दूरी सत्यापन/अद्यतन कर दूरी 1किमी./2किमी. से अधिक होने पर उचित कारण का चयन किये जाने हेतु **पीईईओ एवं बीईईओं लॉगिन पर "विद्यालय से निवास स्थान की दर्शायी गई दूरी का कारण अपडेट करें"मॉडयूल शूरू किया गया है जिसमें निम्न निर्देशानुसार प्रविष्टि/अपडेशन करवाये जाने की सुनिश्चितता करावें।** –

1. वे विद्यार्थी जिनकी निवास स्थान से विद्यालय की दूरी मॉडयूल में दर्शायी गई है यदि वह सही है तो उचित कारण का चुनाव कर सेव करें।
2. वे विद्यार्थी जिनकी निवास स्थान से विद्यालय की दूरी गलत प्रविष्ट हो गई है तो उसे संशोधित करें।
   - यदि संशोधित दूरी कक्षा 1 से 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए दूरी 1 किमी. से अधिक है तो निम्न कारणों में से उचित कारण का चयन कर सेव करें।
     1. विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किमी. परिधि में राजकीय विधालय है परन्तु स्वेच्छा से अध्यनरत है।
     2. विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किमी. परिधि में राजकीय विधालय है परन्तु अपने बड़े भाई बहन परिवारजन के साथ विधालय में अध्यनरत है।
     3. विद्यार्थी के निवास स्थान के 1 किमी. परिधि में राजकीय विधालय नहीं है।
   - यदि संशोधित दूरी कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए दूरी 2 किमी. से अधिक है तो निम्न कारणों में से उचित कारण का चयन कर सेव करें।
     1. विद्यार्थी के निवास स्थान के 2 किमी. परिधि में राजकीय विधालय है परन्तु स्वेच्छा से अध्यनरत है।
     2. विद्यार्थी के निवास स्थान के 2 किमी. परिधि में राजकीय विधालय है परन्तु अपने बड़े भाई बहन परिवारजन के साथ विधालय में अध्यनरत है।
     3. विद्यार्थी के निवास स्थान के 2 किमी. परिधि में राजकीय विधालय नहीं है।

www.rajteachers.com

उपरोक्त मॉड्यूल्स में सूचनाओं को दिनांक 20.12.2017 तक अद्यतन करवाया जाना सुनिश्चित करवायें जाने का श्रम करावें।

(डॉ. प्रिया बलराम शर्मा)
उपायुक्त(शाला दर्शन)

क्रमांकः–राप्राशिप / जय. / शा.दर्शन / 2017–18 / 10589 दिनांक : 15/12/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
3. सहा.निदेशक, शालादर्शन प्रकोष्ठ, बीकानेर को देकर लेख है की निदेशालय शाला दर्शन टीम द्वारा उक्त मॉड्यूल्स में अपडेशन की मॉनिटरिंग करवाये जाने की सुनिश्चिता करावें।
4. अति.जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले को देकर लेख है की उक्त मॉड्यूल की मॉनटरिग कर उक्त कार्य को दी गई समयावधि में ही पूर्ण करवाया जाना सुनिश्ति करावें।
5. **बीईईओ, समस्त कार्यालय को देकर लेख कि शाला दर्शन पोर्टल पर शहरी क्षेत्र के विद्यालयों की उक्त मॉड्यूल्स में प्रविष्टी / अपडेशन किया जाना सुनिश्चित करें।**
6. **प्रधानाचार्य एवं पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त ग्राम पंचायत को देकर लेख कि शाला दर्शन पोर्टल पर आपके अधीनस्थ प्रा.वि. / उ.प्रा.वि की उक्त मॉड्यूल्स में प्रविष्टी / अपडेशन किया जाना सुनिश्चित करें।**
7. रक्षित पत्रावली।

(राजेश कुमार)
उपनिदेशक (शाला दर्शन)

www.rajteachers.com